दिनाक 16.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–16/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>आजमगढ़/थाना दीदारगंज</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस,**
- **05 एटीएम कार्ड,**
- **1,230 रूपये नगद,**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 15/16.02.2021 को थाना दीदारगंज व थाना बिलरियागंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैरकडीह मोड़ के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त नवीन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 05 एटीएम कार्ड, 1,230 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद आजमगढ़, बलिया, देवरिया के विभिन्न थानो में चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना तहबरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–14/2021 धारा 66 आई0टी0 एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दीदारगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

नवीन निवासी भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–:

1–अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस,

2–05 एटीएम कार्ड,

3–1,230 रूपये नगद,

4–01 मोटर साइकिल।

जनपद हरदोई/थाना मल्लावां

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 16–02–2021 को थाना मल्लावां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वन्सीपुरवा मोड़ के पास से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी महेदी उर्फ रिजवान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हरदोई के विभिन्न थानो में डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मल्लावां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 331/2020 धारा 395 भादवि में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मल्लावां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—महेदी उर्फ रिजवान निवासी घुमरी थाना जेथरा जनपद एटा, हालपता भुर्रका थाना सकरौली जनपद एटा

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद

<u>जनपद हरदोई/थाना कोतवाली पिहानी</u>

01 अभियुक्त गिरफ्तार,

लूट की घटना का अनावरण,

लूट के 45 हजार रूपये नगद,

01 अवैध तमंचा, मय कारतूस,

01 घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 16.02.2021 को थाना पिहानी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिहानी मोड़ हाईवे से 01 अभियुक्त मंगूलाल को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 45 हजार रूपये नगद, आधार कार्ड, 02 पासबुक, 01 बैग, 01 अवैध तमंचा मय कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हरदोई, खीरी, लखनऊ के विरूद्ध विभिन्न थानो में चोरी, लूट आदि लगभग एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। दिनॉकः 16.01.2021 को थाना पिहानी क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिहानी पर मु0अ0सं0—28/2021 धारा 392/506/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद नगद रूपये, आधार कार्ड आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पिहानी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

मंगूलाल निवासी रहिमापुर थाना पसगवॉ जनपद खीरी।

बरामदगी :–

1–लूट के 45 हजार रूपये नगद, आधार कार्ड, 02 पासबुक, 01 बैंग ,

2–01 अवैध तमंचा मय कारतूस

3– घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद जालौन/थाना कुठौन्द
04 अभियुक्त गिरफ्तार,
चोरी के सोने के आभूषण,
04 मोबाइल फोन बरामद

दिनॉकः 16.02.2021 को थाना कुठौन्द पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मदारीपुर सड़क से 04 अभियुक्तों 1–विक्रम 2–पप्पू 3–रोशनी पत्नी पप्पू 4–मंजू पत्नी विक्रम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के लगभग सवा 02 लाख रूपये कीमत के सोने के आभूषण (सोने की अंगूॅठी 06 जोड़ी, सोने की 02 जोड़ी बृजवाला , सोने की 01 जोड़ी झुमकी), 04 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 16.02.2021 को थाना कुठौन्द पर मु0अ0सं0–41/2021 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण कर प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सोने के आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध मे ंथाना कुन्ठौन्द पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

1–विक्रम निवासी नगली थाना एम0आई0एरिया जनपद अलवर, राजस्थान।

2–पप्पू निवासी शालपुर थाना अरावली विहार जनपद अलवर, राजस्थान।

3–रोशनी पत्नी पप्पू निवासी शालपुर थाना अरावली विहार जनपद अलवर, राजस्थान।

4–मन्जू पत्नी विक्रम निवासी नगली थाना एम0आई0एरिया जनपद अलवर, राजस्थान।

बरामदगी :–

1–चोरी के लगभग सवा 02 लाख रूपये कीमत के सोने के आभूषण (सोने की अंगूॅठी 06 जोड़ी, सोने की 02 जोड़ी बृजवाला , सोने की 01 जोड़ी झुमकी),

2– 04 मोबाइल फोन ।

जनपद बस्ती/थाना हरैया

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 16–02–2021 को थाना हरैया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेलाडे शुक्ल नहर पुलिया के पास से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी मनोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित कारतूस बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बस्ती के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी, बलात्कार, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना हरैया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 296/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हरैया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनोज निवासी उभाई थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित कारतूस बरामद

जनपद बरेली/थाना नबावगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 90 हजार रूपये कीमत का चोरी की ट्राली**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 15—02—2021 को थाना नबावगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिथरी गांव से पहले सड़क से 02 अभियुक्तों 1—राहुल, 2— सोनू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 90 हजार रूपये कीमत की चोरी की ट्राली ट्रैक्टर की, 01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत चोरी की घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 65/2021 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ट्राली उक्त घटना से सम्बन्धित है.

इस सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी बीजामऊ थाना हाफिजगंज जनपद बरेली।

2—सोनू निवासी बीजामऊ थाना हाफिजगंज जनपद बरेली।

बरमदगी

1—लगभग 90 हजार रूपये कीमत की चोरी की ट्राली ट्रैक्टर की

2—01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस आदि।

<u>जनपद गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—24</u>

- **02 मदाक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत का 42 किलो अवैध गांजा**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 16—02—2021 को थाना सेक्टर—24 व एनटी थेप्ट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर—57 रेड़ लाइन के पास से 02 मदाक पदार्थ तस्कर 1—मुकेश, 2—चन्द्रबीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 05 लाख रूपये कीमत का 42 किलो अवैध गांजा, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर—24 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मुकेश निवासी नयाबांस थाना इगलस जनपद अलीगढ़।

2—चन्द्रबीर निवासी राघवगढ़ी थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 05 लाख रूपये कीमत का 42 किलो अवैध गांजा

2—01 चार पहिया वाहन

<u>जनपद अमेठी/थाना गौरीगंज (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी संजय द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्याः 15 सहारनपुर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भादवि में अभियुक्त जुल्फान को आजीवन कारावास, व 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

––––––